संख्या- 74/2016-2628 /चौदह-4-2016-110/2015

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 02/12/2016

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में '' बर्ड फेस्टिवल का आयोजन'' योजना के अन्तर्गत नई मांगों के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-568/36-टी-77 (बर्ड फेस्टिवल) दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-2 (13) (घ) में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत ''बर्ड फेस्टिवल का आयोजन' योजना के अन्तर्गत नई मांगो के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 100-00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110- वन्य जीव परिक्षण-	
04-बर्ड फेस्टिवल का आयोजन-	
42-अन्य व्यय	5000000
योग:-	**5000000**

(रू0 पचास लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005

तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- प्रश्नगत योजना में होने वाले व्यय की कार्यमदों में अतिथियों की टिकटदरों एवं ठहरने के होटल आदि का बिल वास्तविक दर के आधार पर भुगतान किया जाय।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता /डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. में आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब प्रसतावित कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

6- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-568/36-टी-77(बर्ड फेस्टिवल) दिनांक 24 नवम्बर, 2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

7- प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त दितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8- योजना में होने वाले व्यय की कार्यमदों में अतिथियों हेतु निर्धारित एकेमडेशन/टैंट आदि का भुगतान वास्तविक दर के आधार पर किया जाय।

9- अतिथियों के ठहरने की इनर एवं आउटर सिक्योरिटी दिस्तरीय रहे तथा हाऊस कीपिंग व्यवस्था गुणवत्ता पूर्वक होना सुनिश्चित किया जाय।

10-यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

11-स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2628 (1)/चौदह-4-2016 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।